अनुदान संख्या 50 - मंत्रिमंडल
GRANT No. 50 - CABINET

				कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत– Saving -
						(हजार रुपयों में) (In thousands of rupees)
राजस्वः	**Revenue:**					
स्वीकृत–	Voted-					
मूल	Original	969,18,00		1251,67,00	883,07,87	-368,59,13
पूरक	Supplementary	282,49,00				
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	Amount surrendered during the year					246,12,00
पूंजीगतः	**Capital:**					
स्वीकृत–	Voted-					
मूल	Original	289,50,00		551,34,00	165,78,12	-385,55,88
पूरक	Supplementary	261,84,00				
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	Amount surrendered during the year					302,07,00

टीका और टिप्पणियां

1. अनुदान के राजस्व भाग में समग्र बचतें (₹36859.13 लाख) दिसम्बर, 2023 और फ़रवरी, 2024 में प्राप्त किए गए ₹28249.00 लाख के पूरक अनुदान से अधिक थीं और स्वीकृत प्रावधान का 29 प्रतिशत थी।

बचतें/अधिक व्यय निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत हुईं/हुएः–

Notes and comments

1. In the revenue section of the grant, the overall savings (₹36859.13 lakhs) exceeded the supplementary grant of ₹28249.00 lakhs obtaining in December, 2023 and February, 2024 and constituted 29 percent of the total sanctioned provision.

Savings/excess occurred under following major head:-

शीर्ष	Head		कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत– Saving -
					(लाख रुपयों में) (In lakhs of rupees)
मुख्य शीर्ष "2013"	Major Head "2013"				
मंत्रिपरिषद	Council of Ministers				
मू.	O.	96050.00			
पू.	S.	28249.00	100025.00	87779.72	-12245.28
पु.	R.	-24274.00			

(का) "अंतर्राष्ट्रीय सहयोग – रासायनिक हथियार निषेध संगठन" के अंतर्गत एक मामले में ₹650.00 लाख का प्रावधान रासायनिक हथियार निषेध हेतु रसायनिक हथियार अभिसमय संगठन को वार्षिक अंशदान के लिए भुगतान नहीं किए जाने के कारण पूरी तरह से अप्रयुक्त रहा।

(I) Provision of ₹650.00 lakhs remained wholly unutilized in one case under "International Co-operation - Organisation for Prohibition of Chemical Weapons" - due to non-payment of annual contribution to chemical weapons convention of organization for prohibition of chemical weapons.

(II) "यात्रा व्यय – विशेष अतिरिक्त उड़ान संचालन सत्र" के अंतर्गत – ₹44984.00 लाख का मूल प्रावधान ₹25488.00 लाख का पूरक अनुदान प्राप्त करके ₹70472.00 लाख तक बढाया गया। तथापि, ए. आई. ई. एस. एल. और एयर इंडिया द्वारा बीजक प्रस्तुत नहीं किए जाने के कारण ₹33439.25 लाख की बचत (पूरक अनुदानों सहित) हुई।

(II) Under "Tour Expenses - Special Extra Session Flight Operations" - the original provision of ₹44984.00 lakhs was augmented to ₹70472.00 lakhs by obtaining supplementary grant of ₹25488.00 lakhs. However, there was a saving of ₹33439.25 lakhs (including supplementary grant) - due to non-submission of invoices by AIESL and Air India.

(III) "मंत्रिमंडल सचिवालय" के अंतर्गत – बचतें निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत हुईः–

(III) Under "Cabinet Secretariat" - savings occurred under the following heads: -

(का) "सचिवालय (मुख्य + वेतन और लेखा कार्यालय)" – ₹625.33 लाख की बचत (₹58.00 लाख के पूरक अनुदान सहित ₹6384.00 लाख के कुल स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) कम संख्या में घरेलू और विदेशी दौरे किए जाने और कम संख्या में व्यवसायियों को लेने के कारण हुई।

(A) "Secretariat (Main + PAO)" - saving of ₹625.33 lakhs (against the total sanctioned provision of ₹6384.00 lakhs including supplementary grant of ₹58.00 lakh) was due to less domestic and foreign tours undertaken and hiring of less professionals.

(खा) "प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार का कार्यालय" – ₹2297.80 लाख की बचत (₹1.00 लाख के सांकेतिक पूरक अनुदान सहित ₹9686.00 लाख के कुल स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) संस्थानों से कम संख्या में प्रस्ताव प्राप्त होने के कारण हुई।

(B) "Office of the Principal Scientific Advisor" - saving of ₹2297.80 lakhs (against the total sanctioned provision of ₹9686.00 lakhs including token supplementary grant of ₹1.00 lakh) was due to receipt of less proposals received from institution.

(IV) "प्रधान मंत्री का कार्यालय – स्थापना" के अंतर्गत – ₹607.28 लाख की बचत (₹6265.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) कम संख्या में विदेशी दौरे किए जाने और बाल शिक्षा भत्ता अग्रिम और एल. टी. सी. के कम संख्या में दावे प्राप्त होने के कारण हुई।

(V) "यात्रा व्यय" के अंतर्गत – बचतें निम्नलिखित शीर्षों के तहत हुईः–

(का) "कैबिनेट मंत्री" के अंतर्गत – ₹1759.20 लाख की बचत (₹4700.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई; और

(खा) "राज्य मंत्री" – ₹810.10 लाख की बचत (₹2500.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई।

उपयुक्त दो शीर्षों के तहत बचतें कम संख्या में दौरे किए जाने के कारण हुई।

(VI) दो शीर्षों के अंतर्गत – ₹550.77 लाख की बचत हुई जो प्रत्येक में ₹250.00 लाख से अधिक थीं और स्वीकृत प्रावधान का क्रमशः 41 और 42 प्रतिशत थीं।

2. उपर्युक्त बचतें आंशिक रूप से (₹4119.00 लाख) पुनर्विनियोग द्वारा प्रावधान बढ़ाने के लिए प्रयुक्त हो गईं, जैसा कि "मंत्रिमंडल सचिवालय – राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद सचिवालय" के अंतर्गत ₹4408.00 लाख का पूरक अनुदान प्राप्त करते समय संसद को पहले ही सूचित कर दिया गया था। तथापि, वास्तविक अधिक व्यय ₹3898.51 लाख था।

3. अनुदान के पूंजीगत भाग में समग्र बचतें (₹38555.88 लाख) दिसम्बर, 2023 और फ़रवरी, 2024 में प्राप्त किए गए ₹26184.00 लाख के पूरक अनुदान से अधिक थीं और कुल स्वीकृत प्रावधान का 70 प्रतिशत थीं।

बचतें निम्नलिखित मुख्य शीर्ष के अंतर्गत हुईः–

(IV) Under "Prime Minister's Office - Establishment" - saving of ₹607.28 lakhs (against the sanctioned provision of ₹6265.00 lakhs) was due to less foreign tours undertaken and receipt of less children education allowance and LTC claims.

(V) Under "Tour Expenses" - savings occurred under the following heads:-

(A) Cabinet Ministers" - saving of ₹1759.20 lakhs (against the sanctioned provision of ₹4700.00 lakhs); and

(B) "State Ministers" - saving of ₹810.10 lakhs (against the sanctioned provision of ₹2500.00 lakhs).

Savings under the above two heads were due to less tours undertaken.

(VI) Under two heads savings of ₹550.77 lakhs occurred, each exceeding ₹250.00 lakhs and constituting 41 and 42 percent of the sanctioned provision.

2. The above savings were partly (₹4119.00 lakhs) utilized for augmenting the provision by re-appropriation as already reported to parliament while obtaining supplementary grant of ₹4408.00 lakh under "Cabinet Secretariat - National Security Council Secretariat" - Actual excess, however, was ₹3898.51 lakhs.

3. In the capital section of the grant, the overall savings (₹38555.88 lakhs) exceeded the supplementary grant of ₹26184.00 lakhs obtaining in December, 2023 and February, 2024 and constituted 70 percent of the total sanctioned provision.

Savings occurred under following major head: -

शीर्ष	Head		कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत– Saving -
					(लाख रुपयों में) (In lakhs of rupees)
मुख्य शीर्ष "4070"	Major Head "4070"				
अन्य प्रशासनिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय	Capital Outlay on Other Administrative Services				
मू.	O.	28727.00			
पू.	S.	22184.00	21511.00	13215.33	-8295.67
पु.	R.	-29400.00			
मुख्य शीर्ष "4075"	Major Head "4075"				
विविध सामान्य सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय	Capital Outlay on Miscellaneous General Services				
मू.	O.	223.00			
पू.	S.	4000.00	3416.00	3362.79	-53.21
पु.	R.	-807.00			

(I) मुख्य शीर्ष "4070" – "निदेशन और प्रशासन – विशेष अतिरिक्त उडान संचालन सत्र" के अंतर्गत – ₹28727.00 लाख का मूल प्रावधान ₹22184.00 लाख का पूरक अनुदान प्राप्त करके ₹50911.00 लाख तक बढाया गया। तथापि, एफ़. एम. एस. पूंजी योजना के लिए बिल प्राप्त नहीं होने के कारण ₹37695.67 लाख की बचत (पूरक अनुदान सहित) हुई।

(I) Under Major Head "4070" - "Direction and Administration - Special Extra Session Flight Operations" - the original provision of ₹28727.00 lakhs was augmented to ₹50911.00 lakhs by obtaining supplementary grant of ₹22184.00 lakhs. However, there was a saving of ₹37695.67 lakhs (including supplementary grant) - due to non-receipt of bills against FMS Capital Scheme.

(II) मुख्य शीर्ष "4075" – "निदेशन और प्रशासन – सचिवालय – सामान्य सेवायें" के अंतर्गत – ₹223.00 लाख का मूल प्रावधान ₹4000.00 लाख का पूरक अनुदान प्राप्त करके ₹4223.00 लाख तक बढाया गया, जो, तथापि, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम द्वारा किए गए अंतरिक्ष अवसंरचना कार्य का भुगतान स्थगित किए जाने के कारण ₹860.21 लाख की सीमा तक अप्रयुक्त रहा।

(II) Under Major Head "4075" - "Direction and Administration - Secretariat - General Services" - the original provision of ₹223.00 lakhs was augmented to ₹4223.00 lakhs by obtaining supplementary grant of ₹4000.00 lakhs which, however, remained unutilized to the extent of ₹860.21 lakhs - due to postponement of payment of Space Infrastructure work by the PSU.